

**अभिरूचि की अभिव्यक्ति**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं0/08/2016/696/नौ-8-2016-124ज/2014 दिनांक 08 मार्च 2016 मं दिये गए निर्देशों के क्रम में नगर पालिका परिषद देवरिया के अन्तर्गत सौर ऊर्जा पॉवर प्लान्ट्स के माध्यम से सौर लाइट/सौर हाईमास्ट लाइट तथा पेयजल व्यवस्था हेतु नगर विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारम्भ की जा रही डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना के अन्तर्गत नगर निकायों में मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की पूर्ति किये जाने हेतु राज्य सरकार तथा नवीन नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत सरकार द्वारा निर्धारित बेंच मार्क दरों के आधार पर तैयार की गई परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का चयन हेतु निम्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण/अनुपालन करने वाली संस्थाओं में दिनांक 07.10.2016 को समय 3.00 बजे दिन तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक कार्यदायी संस्थाएँ निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकती हैं। अवधि समाप्ति के उपरान्त किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आमंत्रित आवेदन पत्र अपर जिलाधिकारी कार्यालय एल0बी0सी0 पटल पर रखे निविदा वाक्स में डाले जायेंगे, जो उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित आवेदनकर्ता की उपस्थिति में खोली जायेगी। उक्त विज्ञापन को वेबसाइट [WWW.Deoria.Nic.in](http://WWW.Deoria.Nic.in) व [WWW.Municipaldeoria.in](http://WWW.Municipaldeoria.in) पर देखे जा सकते हैं।

**नियम व शर्तें-**

- 1- कार्यदायी संस्थाओं के रूप में यूपी नेडा, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के उपक्रम/निगमित निकाय/सहकारी समितियाँ आदि को नामित किया जा सकता है, जो भारत सरकार की नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय (MNRE) के द्वारा सौर ऊर्जा के संयंत्रों के अधिष्ठापन हेतु चैनल पार्टनर के रूप में नामित हो एवं उनके द्वारा सौर ऊर्जा पावर प्लान्ट में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों में से कम से कम 01 उत्पाद का विनिर्माण कर रही हो, साथ ही साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियाँ भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप हों एवं उनके द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में प्रमाणित की गई हो।
- 2- चयनित की जाने वाली कार्यदायी संस्था के पास सौर ऊर्जा पॉवर प्लान्ट्स की स्थापना हेतु पर्याप्त अनुभवी तकनीकी विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक है, जो सौर ऊर्जा पॉवर प्लान्ट्स की स्थापना हेतु पर्याप्त तकनीकी अनुभव रखते हो।
- 3- चयनित की जाने वाली कार्यदायी संस्था का विगत 03 वर्षों में सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठान में प्रतिवर्ष रू0 2.5 करोड़ अथवा विगत 3 वर्षों में कम से कम कुल रू0 5.00 करोड़ का टर्न ओवर होना चाहिए।
- 4- चयनित कार्यदायी संस्था को सौर ऊर्जा पॉवर प्लान्ट्स की स्थापना किये जाने के उपरान्त नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित 05 वर्ष व उससे अधिक अवधि के लिए बिना किसी अतिरिक्त सेण्टेज चाज के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर कम्प्रहेन्सिव वारंटी उपलब्ध कराये जाने हेतु तैयार हो।
- 5- ऐसी कार्यदायी संस्थाएँ जो सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठापन हेतु निर्धारित न्यूनतम मूल्य तथा 05 वर्ष से अधिक कम्प्रहेन्सिव वारंटी देने के लिए तैयार हो, उसे चयनित किये जाने में प्राथमिकता दी जा सकती है। इस प्रकार कार्यदायी संस्थाओं के चयन में जाने में प्राथमिकता दी जा सकती है। इस प्रकार कार्यदायी संस्थाओं के चयन में अधिक कम्प्रहेन्सिव वारंटी अवधि का होना भी एक मुख्य अवयव होगा।
- 6- चयनित की जाने वाली कार्यदायी संस्था को परियोजना के लिए स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का 15 प्रतिशत एफ डी/बैंक गारन्टी के रूप में जमानत धनराशि निकाय में जमा करनी होगी तथा कम्प्रहेन्सिव वारंटी के अनुसार प्रत्येक वर्ष के समाप्ति पर संतोषजनक रखरखाव किये जाने के पश्चात कम्प्रहेन्सिव वारंटी में दिये गये समय के अनुसार उसके अनुपात में निकाय द्वारा संस्था को वापस करना होगा। उदाहरणार्थ यदि संस्था द्वारा की गयी कम्प्रहेन्सिव वारंटी को अवधि 05 वर्ष है, तो प्रत्येक वर्ष के पश्चात संतोषजनक रखरखाव होने की स्थिति में 03 प्रतिशत एफ डी/बैंक

- गारंटी निकाय द्वारा संस्था को वापस कर दी जायेगी। संस्था द्वारा कम्प्रहेन्सिव वारंटी की अवधि में संतोषजनक कार्य न करने पर जमानत की धनराशि जब्त की जा सकेगी।
- 7- नगर विकास विभाग में 30 एच.पी. के 03 नग 25 एच.पी. के 02 नग सोलर पम्प के अधिष्ठापन का अनुभव।
  - 8- नगर पालिकाओं में 200 नग सोलर हाई मास्ट लाइटों के अधिष्ठापन का अनुभव।
  - 9- नगर पालिकाओं में 800 नग सोलर लाइट सिंगल आर्म के अधिष्ठापन का अनुभव।
  - 10- व्यापार कर, आयकर, की नवीनतम पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  - 11- विगत तीन वर्षों का आयकर एवं व्यापार कर के असेसमेन्ट आर्डर की सी-ए द्वारा सर्टिफाइड कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  - 12- संस्था/फर्म/सरकारी/अर्द्धसरकारी उपक्रम की विगत तीन वर्षों की सी.ए. द्वारा आडिटेड बैलेन्स शीट एवं प्राफ़ीट एवं लास, तकनीकी विशेषज्ञों की सूची, उनके प्रमाण पत्र सहित संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
  - 13- अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धी अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

(निलेश रमन)  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
देवरिया।

(अलका सिंह)  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद,  
देवरिया।

पत्रांक / प0प्र0अनु0-2016-17/ देवरिया दिनांक :  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, देवरिया।
- 2- विज्ञापन व्यवस्थापक.....को इस आशय से प्रेषित कि सरकारी दर पर कम से कम स्थान में प्रकाशित कर, विल भुगतान हेतु दो प्रतियों प्रस्तुत करने हेतु।
- 3- अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, देवरिया।
- 4- एन.आई.सी. प्रभारी, कलेक्ट्रेट देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापन एन.आई.सी. के बेवसाइट पर प्रकाशन करने हेतु।
- 5- जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, कम्प्यूटर सहायक, को इस आशय से कि पालिका के बेवसाइट पर प्रकाशन करने हेतु।
- 6- नोटिस बोर्ड नगर पालिका, तहसील, विकास भवन, कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, लो0नि0वि0 देवरिया पर चस्पा हेतु।

(अलका सिंह)  
अध्यक्ष